



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,

नई दिल्ली 110 602

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg

New Delhi 110 602

Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570

e-mail:kvssao@hub.nic.in

website:www.kvsangathan.nic.in

फा. सं 11094/2/2012-केविसं मु.प्रशा.2} 1299/1377

दिनांक : 29.11.2012

20.12.12

उपायुक्त,
सभी क्षेत्रीय कार्यालय/सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन।

विषय :- वर्ष 2012-13 में वाहन अग्रिम (Conveyance Advance) हेतु बजट प्रावधान ।

महोदय/महोदया,

वर्ष 2012-13 बजट प्रावधान में केन्द्रीय विद्यालय संगठन {मुख्यालय}, क्षेत्रीय कार्यालयों, 05 आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा केन्द्रीय विद्यालयों के योग्य अधिकारियों को वाहन अग्रिम प्रदान करने हेतु रु0 75,00,000/- {रुपये पचहतर लाख मात्र} का बजट प्रावधान रखा गया है। ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	प्रयोजन	बजट प्रावधान {रुपयों में}
1.	योग्य अधिकारियों/कर्मचारियों को कार अग्रिम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर	12,30,000
2.	स्कूटर/मोपेड अग्रिम केविसं[मुख्यालय], क्षेत्रीय कार्यालयों एवं जीट के योग्य अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए	9,00,000
3.	साइकिल अग्रिम केविसं[मुख्यालय] के कर्मचारियों के लिए	7500
4.	साइकिल अग्रिम क्षेत्रीय कार्यालयों एवं केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों के लिए रु0 3750/- प्रति संभाग की दर से जो कि संबंधित उपायुक्त द्वारा संस्वीकृत किया जाएगा ।	93750
5.	साइकिल अग्रिम 05 जीट के कर्मचारियों के लिए रु0 3750/- प्रति जीट की दर से जोकि संबंधित उपायुक्त द्वारा संस्वीकृत किया जाएगा	18750
6.	स्कूटर/मोपेड अग्रिम केन्द्रीय विद्यालयों के योग्य अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए रु0 2,10,000/- प्रति संभाग की दर से जोकि संबंधित उपायुक्त द्वारा संस्वीकृत किया जाएगा	5250000
		75,00,000

2. वित्तीय वर्ष के अंत में निधि के अवरोध एवं अभ्यर्पण को रोकने हेतु केन्द्रीय विद्यालयों एवं आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत शैक्षिक एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों को स्कूटर/मोपेड/ साइकिल अग्रिम देने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों के उपायुक्तों एवं आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान के निदेशकों को इस निधि को स्वीकृति करने के अधिकार दिए गए हैं। जी.एफ.आर. के नियमानुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जाए। उपायुक्तों एवं, आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान के निदेशकों द्वारा इस विषय में वित्तीय वर्ष के अंत में इस निधि के उपायोजन का प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक है। इस निधि के अंतर्गत बकाया राशि, यदि कोई शेष रहे, तो उसे दिनांक 28.02.2013 तक केविसं[मुख्यालय] को अभ्यर्पण करें।

3. स्कूटर अग्रिम [केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों को छोड़कर] और कार अग्रिम सभी केन्द्रीय विद्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालयों एवं मुख्यालय के योग्य अधिकारियों/कर्मचारियों को मुख्यालय द्वारा ही संस्वीकृत किया जाएगा। आपसे अनुरोध किया जाता है कि क्षेत्रीय कार्यालयों/केन्द्रीय विद्यालयों/आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालयों के योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों से निर्धारित प्रपत्र (जी.एफ.आर में उपलब्ध फार्म VI) में प्राप्त आवेदन अपनी संस्तुति सहित इस कार्यालय को दिनांक 31.01.2013 तक अवश्य भिजवा दें।

4. इस बारे में यह प्रमाण पत्र भी जारी करना आवश्यक है कि प्राप्त आवेदनों पर जी.एफ.आर नियमानुसार विचार किया गया एवं किसी योग्य एवं इच्छुक कर्मचारी/अधिकारी का आवेदन बिना किसी वैध कारण के नहीं रोका गया। यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी का आवेदन रोकने की संस्तुति की गई है तो स्पष्ट कारण बताया जाए। आवेदनों को अग्रेषित करने से पूर्व यह भी प्रमाणित करना आवश्यक है कि आवेदक वास्तव में अग्रिम प्राप्त करने हेतु इच्छुक है। अग्रिम के निरस्तीकरण हेतु किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. यह पत्र सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है ।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक आयुक्त [प्रशासन]

प्रतिलिपि : -

1. केविस [मुख्यालय] के सभी अधिकारी/अनुभाग को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने कार्यालय के इच्छुक योग्य अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन कार/स्कूटर/साईकिल अग्रिम हेतु निर्धारित प्रपत्र में भरकर दिनांक 31.01.2012 तक अनुभाग अधिकारी [प्रशासन-2 अनुभाग] में भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. सहायक आयुक्त, (ई.डी.पी.), केविस [मुख्यालय] नई दिल्ली को इस निवेदन के साथ कि इस पत्र को कृपया संगठन मुख्यालय की वेबसाइट पर प्रशा. हैड में अपलोड करने का कष्ट करें।

राजेन्द्र शर्मा
सहायक आयुक्त [प्रशासन]



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली 110 602
18, Institutional Area, Shaheed Jee Singh Marg
New Delhi 110 602
Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570
e-mail:kvssao@hub.nic.in
website:www.kvsangathan.nic.in

फा. सं 11094 / 1 / 2012-केविसं मु.प्रशा.2 / 1216 -1296

दिनांक : 29.11.2012

20.12.2012

तत्काल डाक

उपायुक्त,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
सभी क्षेत्रीय कार्यालय /
सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।

विषय :- वर्ष 2012-13 में कम्प्यूटर अग्रिम (computer advance) हेतु बजट प्रावधान।

महोदय/महोदया,

वर्ष 2012-13 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन [मुख्यालय], क्षेत्रीय कार्यालयों, 05 आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा केन्द्रीय विद्यालयों के योग्य अधिकारियों को कम्प्यूटर अग्रिम प्रदान करने हेतु ₹ 25,00,000/- [रुपये पच्चीस लाख मात्र] का बजट प्रावधान रखा गया है।

2. कम्प्यूटर अग्रिम हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार जी.एफ.आर. में दी गई निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के पश्चात् किया जाएगा।
3. कम्प्यूटर अग्रिम प्रदान करने हेतु निम्नलिखित पात्रता शर्तों का होना अनिवार्य है:-
 - क) वेतन बैंड [pay band] में ₹ 19530/- तथा अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी कम्प्यूटर अग्रिम हेतु योग्य अधिकारी हैं। प्रथम बार में कम्प्यूटर अग्रिम हेतु राशि ₹ 80,000/- तथा द्वितीय और आगे ₹ 75,000/- या कम्प्यूटर की वास्तविक कीमत [सीमा शुल्क यदि कोई हो निकालकर] जो भी कम हो।
 - ख) वेतन बैंड [pay band] में ₹ 8580/- तथा अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी और जो कार अग्रिम के लिए योग्य नहीं हों, को भी कम्प्यूटर अग्रिम राशि ₹ 30,000/- या कम्प्यूटर की वास्तविक कीमत [सीमा शुल्क यदि कोई हो निकालकर] जो भी कम हो प्रदान की जा सकती है।
 - ग) कम्प्यूटर अग्रिम हेतु आवेदन जी.एफ.आर. के फार्म-6 [Form-6 of GFR] में किया जा सकता है।
 - घ) द्वितीय या आगे कम्प्यूटर अग्रिम हेतु आवेदन प्रथम बार अग्रिम प्राप्त होने के तीन वर्ष पश्चात ही किया जा सकता है।
 - ङ) सीमा शुल्क का भुगतान करने पर कम्प्यूटर अग्रिम स्वीकार्य नहीं है।
4. आपसे अनुरोध किया जाता है कि क्षेत्रीय कार्यालयों/केन्द्रीय विद्यालयों के योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पत्र (निर्धारित प्रपत्र [Form-6 of GFR] में) अपने कार्यालय में दिनांक 20.01.2013 तक प्राप्त करें तथा सावधानीपूर्वक योग्यता आदि की जाँच GFR में वर्णित नियमानुसार कर अपनी संस्तुति सहित इस कार्यालय को दिनांक 31.01.2013 तक अवश्य भिजवा दें।

कृपया पावती भेजें।

आपका,

{राजेन्द्र कुमार शर्मा}
सहायक आयुक्त (प्रशा.)

प्रतिलिपि :

1. केविसं [मुख्यालय] के सभी अनुभाग/अधिकारी। सभी योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे कम्प्यूटर अग्रिम हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में भरकर दिनांक 31.01.2013 तक अनुभाग अधिकारी [प्रशासन-2 अनुभाग] में भिजवा दें।
2. सहायक आयुक्त, (ई.डी.पी.), केविसं [मुख्यालय] नई दिल्ली को इस निवेदन के साथ कि इस पत्र को कृपया संगठन मुख्यालय की वेबसाइट पर प्रशा. हैड के अन्तर्गत अपलोड करने का कष्ट करें।

{राजेन्द्र कुमार शर्मा}

सहायक आयुक्त (प्रशा.)